देवघर समाहरणालय

(जिला भू–अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

संख्या 08/15-16/310 /भू अ0 दिनांक : 09.9.15

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :– **सिंहपुर योगीडीह** , **थाना :– जसीडह, थाना सं०–390, अंचलः– देवघर, जिला :– देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **हवाई अड्डा विस्तारीकण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम :– सिंहपुर योगीडीह, थाना :– जसीडीह, थाना सं० :– 390 अंचलः– देवघर, जिला :– देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 19.94 एकड़ का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :– ....

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6	293	रैयती	बाड़ी–1	0.38	संतोष तुरी, वगैरह	खेसरा संख्या 192, 185, 190, 220, 217, 233, 289	मौजा बाबूपुर नं. 389	मौजा सिंहपुर	मौजा समेरिया नं0 388
2	6	294	रैयती	बाड़ी–1	0.29	संतोष तुरी वगैरह				
3	9	201	रैयती	धानी–1	0.05					
4	9	202	रैयती	धानी–1	0.02					
5	9	203	रैयती	धानी–1	0.09					
6	9	204	रैयती	धानी–1	0.26	ननकू मांझी, वगैरह				
7	9	206	रैयती	धानी–1	0.11					
8	9	207	रैयती	धानी–1	0.11					
9	9	208	रैयती	धानी–1	0.11					
10	11	199	रैयती	धानी–1	0.54					
11	11	211	रैयती	धानी–1	0.27					
12	11	212	रैयती	धानी–1	0.36	सुकदेव महतो वगैरह ।				
13	11	218	रैयती	धानी–1	0.18					
14	11	290	रैयती	धानी–1	1.05					
15	12	291	रैयती	बाड़ी–1	0.73	डहरू महतो वगैरह				
16	14	214	रैयती	धानी–1	0.33	सीता देवी वगैरह				
17	16	200	रैयती	बाड़ी–1	0.41					
18	16	292	रैयती	बाड़ी–1	1.10					
19	17	165	रैयती	धानी–1	3.40	समरी देवी, वगैरह				
20	17	167	रैयती	धानी–1	1.48					
21	17	169	रैयती	बाड़ी–1	0.58					

22	17	190	रैयती	बाड़ी–1	0.60					
23	17	220	रैयती	धानी–1	0.40					
24	17	209	रैयती	धानी–1	0.11					
25	17	205	रैयती	धानी–1	0.16					
26	17	213	रैयती	धानी–1	0.37					
27	17	210	रैयती	धानी–1	0.06					
28	17	216	रैयती	बांध	3.33					
29	17	289	रैयती	बाड़ी–1	3.00					
30	17	192	रैयती	बाड़ी–1	0.06					
कुल रकवा					**19.94**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

अपर समाहर्त्ता,
देवघर।

ज्ञापांक 08/15-16/310 / भू अ0, देवघर, दिनांक 09.9.15

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभग, झारखण्ड, राँची को तीन प्रति में दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को तीन प्रति में दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिपिलि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण / पक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेवसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

9.9.15

अपर समाहर्त्ता,
देवघर।